कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

संख्या 2193 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2018–19/मेरठ/दिनांक : : 6-2-18

आवश्यक सूचना

जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप्स एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2018–19 के लिये व्यवस्थापन आगामी माह में किया जायेगा। अतः दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन पत्र में अपनी चल सम्पत्ति के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति का विवरण अवश्य विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। पुरूष अपनी चल सम्पत्ति में आभूषणों का उल्लेख न करें, क्योंकि वह स्त्री धन होता है। सम्पत्ति में चल सम्पत्ति का अनुपात 50प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहियें। आवेदक द्वारा उसकी बैंक व डाक घर की सावधि जमा रसीद व राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि मूल्यवान जमा रसीदों अथवा अन्य चल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी के पक्ष में प्रतिश्रुति करने की दशा में उसकी पूरी राशि को शोधन क्षमता के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने निवास स्थान का पूरा पता अंकित किया जायेगा। नगर क्षेत्र का निवासी होने पर मकान नं0, मोहल्ला तथा नगर का नाम एवं ग्राम का निवासी होने पर ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील एवं जनपद का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

(अ) कृषि भूमि व बागः– उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के द्वारा नियम–4 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार।

(ब) मकान– निर्धारित वार्षिक भवन कर या वास्तविक वार्षिक किराया या अनुमानित वार्षिक किराया का 25 गुना और भवन से सम्बद्ध भूमि का मूल्य प्रचलित बाजार दर पर या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करने होगेः–

1.आधार कार्ड स्वहस्ताक्षरित, 2. पैन कार्ड स्वहस्ताक्षरित, गत वर्ष का आयकर रिर्टन स्वहस्ताक्षरित, 4. चरित्र प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत) चयन के उपरान्त, 5. आवेदक का मोबाइल नं0, जो आवेदक के आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है, 6. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र

एक आवेदक के नाम से एक जनपद में दो दुकानों से अधिक का आवंटन नहीं किया जायेगा। इच्छुक आवेदक दो से अधिक दुकानों पर आवेदन कर सकते है, किन्तु एक दुकान के लिए एक स्वयं के नाम से तथा सह आवेदक के साथ ही आवेदन किया जा सकता है। हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक निम्न दूरभाष नं0 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैः–

1–	जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ	9454465650
2–	आबकारी निरीक्षक, सेक्टर–1	9454466381
3–	आबकारी निरीक्षक, सेक्टर–2	9454466382
4–	आबकारी निरीक्षक, सेक्टर–3	9454466383
5–	आबकारी निरीक्षक, सेक्टर–4	9454466384
6–	आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–2 मवाना	9454466385
7–	आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–3 सरधना	9454466398

(अनिल धींगरा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या 5 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1– उपजिलाधिकारी, तहसील मेरठ सदर, मवाना एवं सरधना, जनपद मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का अपनी–अपनी तहसील के सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित उक्त सूचना का जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराए जाने हेतु आगामी दैनिक समाचार पत्रों के अंक में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद मेरठ के एन0आई0सी0 पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4– जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि स्वयं एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के माध्यम से उक्त का जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु यथा–आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल धींगरा)
जिलाधिकारी, मेरठ।